# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)**

**अपील संख्या : 2024/24**

1. गुलाबचंद पुत्र रघुनाथ
2. महावीर पुत्र स्वर्गीय रामनारायण
3. रमेशचंद पुत्र स्वर्गीय रामनारायण निवासीगण सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––अपीलांटगण

**बनाम**

1. जगदीश पुत्र स्वर्गीय हरनाथ
2. राजेश पुत्र जगदीश
3. विजय पुत्र जगदीश
4. रूकमणी पुत्री मदनलाल जाति महाजन निवासीगण नयापुरा कोटा राज0
5. नेहा पुत्री स्वर्गीय महावीर
6. शिल्पा पुत्री स्वर्गीय महावीर
7. रितिका पुत्री स्वर्गीय महावीर
8. मीरा विजय पत्नी स्वर्गीय महावीर जाति महाजन निवासीगण खाईरोड नयापुरा कोटा राज0
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज.
10. उप पंजीयक प्रथम, कार्यालय उप पंजीयक प्रथम कोटा
11. जरिये सचिव नगर विकास न्यास कोटा वर्तमान नाम कोटा विकास प्राधिकरण कोटा राज0

–रेस्पोडेन्टगण

**उपस्थित वक्त बहस :–** 1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री वीरेन्द्र राठौर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 8 की आरे से।
3. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर से।

**निर्णय** **दिनांकः 30.05.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 2018/00113 में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2023 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ विद्वान निम्नस्थ न्यायालय में मूलवाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता व दादा स्व० रघुनाथ जी के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी गत ख० नं0 403/127 की रकबा 49 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित थी, जिसमें प्रार्थीगण के पिता व दादा स्व० श्री रघुनाथ जी का हिस्सा 1/2 दर्ज रिकॉर्ड है, जिस आराजी के गत सेटलमेंट बाद नए नं0 162 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 164 रकबा 12 बीघा, ख० नं0 162/295 रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा कायम किये गये जो कि उक्त भूमि के अन्य रकबे को मिलाते हुये कायम किये गये और जिस भूमि 49 बीघा 16 बिस्वा में प्रार्थीगण के पिता व दादा रघुनाथ जी का 1/2 हिस्सा दर्ज था, जिस पर वे अपने जीवनकाल में बतौर खातेदार व मालिक काबिज रहे और उनके स्वर्गवास उपरान्त उक्त आराजी पर प्रार्थीगण उनके उत्तराधिकारीयों की हैसियत से मौके पर काबिज चले आ रहे हैं, जिस आराजी के वर्तमान ख० नं0 834 कायम किए गए है, जिस आराजी के प्रार्थीगण मालिक व स्वामी काबिज है। उक्त आराजी पुश्तैनी है और प्रार्थीगण के पिता व दादा को उनके पिता कान्हीराम जी से मृत्यु उपरांत प्राप्त हुई है, जिसमें वे अपने जीवनकाल में काबिज रहे और उनके स्वर्गवास उपरान्त उनके एक पुत्र रामनारायण का भी स्वर्गवास हो गया और प्रार्थी कम 2 व 3 रामनारायण जी की संताने हैं। सेटलमेंट विभाग सं० 2016 से 2024 के पश्चात उक्त आराजी के नए ख० नं0 162 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा व 162/295 की 24 बीघा 18 बिस्वा हरनाथ पुत्र गणेश, के खाते दर्ज कर दी, जब कि उक्त दोनों ख० नं० की आराजी प्रार्थीगण के पिता व दादा स्व० रघुनाथ जी एवं भैरूलाल के संयुक्त खाते दर्ज थी, जिनकी मृत्यु उपरांत 1/2 हिस्सा आराजी प्रार्थीगण के खाते दर्ज होनी चाहिए थी व 1/2 हिस्सा चौथमल एवं मृतक प्रहलाद के वारिसान के नाम दर्ज होना चाहिए। राजस्व रिकॉर्ड में गलत तौर पर नाम दर्ज होने के आधार पर प्रतिपक्षीगण उक्त ख० नं0 734 की भूमि या भाग को खुर्द–बुर्द व हस्तान्तरित करने को तत्पर है तथा प्रार्थीगण जिनका उक्त भूमि पर कब्जा है, उनके शान्ति पूर्ण कब्जे काश्त में ताकत के बल पर मजाहमत करते हैं। अन्त में ग्राम भदाना तह० लाडपुरा के ख० नं0 734 रकबा 3.74 है० आराजी पर प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में ताकत के बल पर प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का प्रयास नही करने, उक्त भूमि को अवैध रूप से खुर्द बुर्द, विक्रय व हस्तान्तरित नहीं हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद करने का निवेदन किया गया।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.2023 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.01.2023 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.01.

2023 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.01.2023 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 8 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 11 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि न्याय एवं संचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। निर्णय जैर अपील न्याय, विधि एवम संचिता में सिद्धि प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष यह भली भांति स्पष्ट था प्रथम दृष्टया केस से अभिप्राय मूल वाद में सारवान प्रश्नो के निहित होने से है और दौराने वाद वादग्रस्त सम्पत्ति को सुरक्षित रखा जाना ही अस्थायी निषेधाज्ञा का मुख्य उद्देश्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्टस वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में भी सारवान प्रश्न अर्न्तग्रस्त है, जिनका विचारण मूल वाद में गुणावगुण पर होना है और अपीलांटगण के पक्ष में स्पष्ट्तया प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन निहित है और यदि रेस्पोडेन्टगण प्रतिपक्षीगण द्वारा दौराने वाद विषयक की वस्तु उक्त वाद विषयक भूमि को बैचान व खुर्द–बुर्द कर दिया जाएगा, तो अपीलांटगण का मूल दावा करना ही निरर्थक हो जाएगा और उक्त वाद पूर्णतया फल विहिन हो जाएगा, जिसके कारण अपूर्णीय क्षति का बिन्दु स्पष्ट रूप से प्रार्थीगण अपीलांटगण के पक्ष में ही निहित था, किन्तु फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा मनमर्जी रूप से अपीलांटगण प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज करने में गंभीर त्रुटि की है। जहां पक्षकारान के मध्य भूमि में खातेदारी हक अधिकारो की घोषणा को लेकर विवाद हो, वहां दौराने वाद वादग्रस्त सम्पत्ति को संरक्षित रखना न्यायालय का कर्तव्य है और यह सार्वभौमिक सिद्धान्त नही है कि राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से नाम दर्ज होने के आधार मात्र पर खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित नही की जा सकती हो, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना मनमर्जी रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित न कर रेस्पोडेन्टस को दौराने वाद वादग्रस्त सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द व समाप्त करने की खुली छूट देने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भली भांति स्पष्ट था कि वादग्रस्त आराजी में अपीलांटगण के पिता व दादा रघुनाथ जी का 1/2 हक हिस्सा निहित रहा है। रघुनाथ जी अपनी 1/2 हिस्सा आराजी कभी भी रेस्पोडेन्टगण को बेचान नही की गयी, ना ही रेस्पोडेन्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को कोई पंजीकृत विक्रय–पत्र अपने पक्ष में प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्टगण स्वयं जैली होने व विक्रय होने के परस्पर

विरोधाभासी कथन करते, जिसके कारण प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थीगण अपीलाण्टगण के पक्ष में ही निहित है, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तात्विक तथ्यो को नजर अंदाज कर मनमर्जी रूप से निर्णय जैर अपील पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली में प्रतिपक्षीगण रेस्पोडेन्टस द्वारा मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया हुआ है और प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 11.11.2022 को प्रतिपक्षी के मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने के प्रार्थना–पत्र में स्पष्ट रूप से जवाब पेश किया था, और न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर प्रार्थना–पत्र पर बहस हेतु दिनांक 22.11.2022 तत्पश्चात दिनांक 24.11.2022 नियत की थी। दिनांक 24.11.2022 को पत्रावली में कोई भी कार्यवाही नही की गयी थी और मोहर लगाकर तारीख पेशी दिनांक 09.12.2022 नियत कर दी गयी थी फिर अचानक से विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण को जानकारी दिये बगैर प्रतिपक्षीगण से हितबद्ध होकर पूर्णतया गुपचुप रूप से आदेशिका बदलते हुऐ आदेशिका में मनमर्जी रूप से प्रार्थना–पत्र मौका कमिश्नर पर बहस सुने जाने की आदेशिका जारी कर दी, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता महोदय को नही दी गयी, तत्पश्चात अधी० न्यायालय द्वारा मनमर्जी रूप से दिनांक 10.01.2023 को आदेशिकाए बदलकर प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता की जानकारी के बगैर मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने का प्रार्थना–पत्र नोटप्रेस करवा लिया और प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता की जानकारी के बगैर उसी दिन प्रार्थीगण को कोई अवसर दिये बिना प्रतिपक्षीगण से हितबद्ध होकर प्रतिपक्षीगण से उनकी एक तरफा बहस सुन पत्रावली प्रार्थीगण की जानकारी बगैर दिनांक 13.01.2023 हेतु नियत कर दी और फिर दिनांक 13.01.2023 को प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता महोदय की जानकारी के बगैर गुपचुप रूप से निर्णय जैर अपील पारित कर दिया, अधीनस्थ न्यायालय का उक्त कृत्य व पारित निर्णय प्रक्रिया व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की घोर अवहेलना है, जिसके कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा रूप से पारित उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। कानूनन रेवेन्यु कोर्ट मेन्युवल` के अनुसार कोई भी अन्तिम निर्णय आदेशिका पर आलेखित नही किया जा सकता, आदेशिका पर निर्णय प्रारम्भ से ही गैरकानूनी व शून्य होता है, अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा भी आलौच्य निर्णय दिनांक 17.01.2023 ही पूर्णतया गलत व गैरकानूनी रूप से आदेशिका पर पारित किया गया है, जो रेवेन्यु कोर्ट मेन्युवल के आज्ञापक प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.01.2023 को निरस्त फरमाया जाने तथा अपीलांटगण का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर रेस्पोडेन्टगण प्रतिपक्षीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का निवेदन किया कि प्रतिपक्षीगण ताफैसला वाद वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 734 रकबा 3.74 है० को खुर्द–बुर्द, विक्रय व हस्तान्तरित नही करे और उक्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा करने का प्रयास नही करे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी उचित हो वह भी प्रदान करने की कृपा करे।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 8 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2003 में खातेदार भैरूलाल व रघुनाथ के नाम चली आ रही थी, हरनाथ ने सम्पूर्ण

आराजी खसरा नम्बर– 403/127, में 49 बीघा 16 बिस्वा भूमि जिसमें 1/2 हिस्सा भैरूलाल तथा 1/2 हिस्सा रघुनाथ का था। उक्त आराजी पर हरनाथ जैलीकाश्त था, और हरनाथ जैलीकाश्त होने के आधार पर अधिनियम के पूर्व से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थें, फिर भी हरनाथ ने प्रतिफल अदा कर उक्त आराजी को क्रय किया, हरनाथ के पश्चात् उनके पुत्र मदनलाल, महावीर व वर्तमान में अप्रार्थीगण काबिज काश्त हैं। उक्त आराजी पर प्रारम्भ से ही अप्रार्थीगण इससे पूर्व महावीर, मदनलाल व हरनाथ काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण अपीलांटगण का कभी भी कोई कब्जा नही रहा। अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण ही एक मात्र काबिज काश्त है। उक्त आराजी का खसरा नम्बर– 403/127 के दो नम्बर कायम हुयें, जिसमें खसरा नम्बर– 162/295 रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा तत्पश्चात् खसरा नम्बर– 143 रक्बा 4.03 हैक्टेयर वर्तमान नम्बर 752 रकबा 3.75 हैक्टेयर कायम किये गये। जिसका वाद भैरूलाल के वारिसान चौथमल वगैराह ने किया। जो कि खारिज हो चुका है। इस विवादित आराजी का खसरा नम्बर–403/127 के बाद 162 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा तत्पश्चात् 145 रक्बा 4.03 हैक्टेयर वर्तमान नम्बर– 734 रक्बा 3.74 हैक्टेयर कायम किये गये। और वर्तमान में उक्त आराजी में आवासीय कोलोनी विकसित हो चुकी है। रघुनाथ के अन्य भाई भैरूलाल के वारिसान के द्वारा भी माननीय न्यायालय में वाद संख्या 112/2010 प्रस्तुत किया था, और उन्ही तथ्यों के आधार पर रघुनाथ के वारिसान द्वारा उक्त दावा प्रस्तुत किया गया जो खारिज हो चुका हैं। समान तथ्यों के आधार पर वाद पोषनीय नही है। उक्त विवादित आराजी पर वर्ष 2012 में ही आवासीय कोलोनी विकसित कर भूखण्ड विक्रय किये जा चुके हैं। उक्त आराजी पर कृषि का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। लगभग 80 प्रतिशत भू–भाग पर मकान निर्मित हो चुके हैं, नगर विकास न्यास, कोटा के द्वारा रोड़, नाली, पटान, बिजली पोल आदि स्थापित कर दिये हैं, सभी भूखण्डधारियों को नल बिजली का कनेक्शन मिल चुका हैं, नगर विकास न्यास, कोटा के रिकॉर्ड में स्वर्ण विहार के नाम से आवासीय कोलोनी हैं, तथा 90–बी की कार्यवाही नगर विकास न्यास, कोटा में लम्बित है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का प्रथम दृष्ट्या केस नही हैं, इसलिये उक्त आराजी पर आवासीय कोलोनी विकसित होने से मकानात् बनने से कब्जा लिखने मात्र से प्रार्थीगण को कोई अधिकार उत्पन्न नही होंते। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं अपील में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अपील खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.01.2023 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 11 ने अपनी बहस में रेस्पोडेन्ट संख्या 11 नगर विकास न्यास कोटा के हितों को दृष्टिगत रखते हुए विधिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित किए जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम भदाना तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 734 रकबा 3.74 हैक्टेयर भूमि के सम्बंध मे अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। अपीलांटगण प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी उनके पिता व दादा के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर अपीलांटगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलांटगण का कथन है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादग्रस्त भूमि को त्रुटिपूर्ण रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 8 की खातेदारी में दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार प्रश्नगत खसरा नम्बर 734 रकबा 3.74 हैक्टेयर भूमि नेहा, शिल्पा, रितिका पुत्रियां महावीर एवं मीरा बेवा महावीर की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण की खातेदारी में दर्ज नहीं होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 8 की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 8 का कथन है कि विवादित आराजी पर आवासीय कॉलोनी विकसित हो चुकी है तथा वादग्रस्त आराजी के लगभग 80 प्रतिशत हिस्से पर मकान बने हुए है। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 8 द्वारा मौके के फोटोग्राफ प्रस्तुत किए है जिनके अवलोकन से वादग्रस्त आराजी पर आवासीय मकान व रोड बने होना प्रकट होता है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में धारा 90–बी की कार्यवाही नगर विकास न्यास कोटा में लम्बित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नगर विकास न्यास कोटा द्वारा जारी की गई प्रार्थना–पत्र प्राप्ति रसीद दिनांक 24.01.2011, कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा जारी पत्र कमांक एफ–5/तहसील/2011/124 दिनांक 16.05.2011 एवं प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास कोटा के पत्र कमांक एफ–15/कृ0भू0रू0/2011/90–बी/262–63 दिनांक 04.03.2011 के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में नगर विकास न्यास कोटा में धारा 90–बी की कार्यवाही विचाराधीन होना प्रकट होता है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी में भू–खण्ड काटकर विक्रय किए जाने के समर्थन में अलग–अलग व्यक्तियों के पक्ष में इकरारनामा, मुख्तारनामा व वसीयतनामा निष्पादित किए जाने के दस्तावेजात् प्रस्तुत किए गए है जिनके अवलोकन से विवादित आराजी पर मौके पर भू–खण्ड काटकर विक्रय किए जाने तथा मौके पर आवासीय मकान बने होना प्रकट होता है। अतः हमारे मत में अपीलांटगण का वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त होने का कथन प्रथम दृष्ट्या सत्य प्रतीत नहीं होता है। वादग्रस्त आराजी के अपीलांटगण ना तो अभिलिखित खातेदार है और ना ही मौके पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त होना प्रकट होता है अतः ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलांटगण के पक्ष होना प्रकट नहीं होता है। वादग्रस्त भूमि में अपीलांटगण के हक अधिकारों का निर्धारण मूलवाद के अंतिम निस्तारण में साक्ष्योपरांत होना शेष है अतः प्रकरण की वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में किसी प्रकार का अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.01.2023 में प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.01.2023 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 2018/00113 में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2023 यथावत रखा जाता है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/05/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा